भुमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर

SAR वाद सं. 01/14–15

हरिश बोदरा

बनाम

रमेश मुखी

आदेश की तिथि	आदेश	ओदश पर की गई कार्रवाई
	आवेदक हरिश बोदरा, पिता स्व. डेबरा रेलवे कॉलोनी क्वार्टर सं. 7–27/चक्रधरपुर, पो + थाना–चक्रधरपुर, जिला–प० सिंहभूम द्वारा विपक्षी रमेश मुखी, ग्राम हरिजन बस्ती रेलवे कॉलोनी, थाना चक्रधरपुर के विरूद्व छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71 (A) के अंतर्गत दिए गए आवेदन के आलोक में यह वाद कायम की गई है। यह वाद चक्रधरपुर वार्ड सं. 15 के खाता सं. 111, प्लॉट सं. 238 के आंशिक भाग में विपक्षी द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। वर्तमान में प्रश्नगत भुमि में अवैध तरीके से मकान बनाया जा रहा है। आवेदक छोटानागरपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71(A) के अंतर्गत उक्त प्रश्नगत भुमि को विपक्षी के कब्जे से मुक्त कर उन्हें वापस करने हेतु आवेदन दिए हैं। आवेदक को प्रश्नगत भुमि विक्रय निबंधित केवाला सं. 04 दिनांक 06.01.2011 के द्वारा हासिल है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के नामांतरण वाद सं. 699/2010–11 द्वारा स्वीकृत एवं शुद्विपत्र निर्गत है। इस प्रकार आवेदक प्रश्नगत भुमि पर दाखिल काबिज है। विपक्षी प्रश्नगत भुमि पर अवैध एवं असंवैधनिक रूप से जानबुझ कर यह जानते हुए कि आवेदक द्वारा वह सम्पति खरीदगी है, गृह निर्माण किया गया है। आवेदक अनुसूचित जनजाति एवं विपक्षी अनुसूचित जाति का सदस्य है। विपक्षी बिना वैद्य कागजातों के आधार पर प्रश्नगत भुमि पर अपना दावा करता है। अतः आवेदक न्यायालय से छोटानागरपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71 (A) के अंतर्गत भुमि वापसी हेतु आग्रह किए है। न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को नोटिश एवं अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। विपक्षी ने अपने प्रत्युतर में कहा है कि वह चक्रधरपुर के वार्ड से 15 के खाता सं. 111 प्लॉट सं. 237, 238G. 238A कुल रकवा 0.5 ए. को नामांतरण वाद सं. 373/11–12 द्वारा हासिल है। विपक्षी अपने धारित भुमि पर बिना अतिक्रमण किए अवस्थित है। प्रश्नगत भुमि अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है। अतः एस.ए.आर. के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी निर्णय न्यायोचित नहीं होगा।	

(5)

उभय पक्षों को सुना एवं राजस्व अभिलेख का जांच किया। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने अपने कार्यालय पत्रांक 331 (B) दिनांक 09.04.2015 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि हरिश बोदरा, पिता स्व. डेबरा बोदरा द्वारा मौजा चक्रधरपुर वार्ड सं. 15 खाता सं. 111, प्लॉट सं. 238A रकवा 06.188, प्लॉट सं. 239 B रकवा 01.812ए. एवं प्लॉट सं. 239 रकवा 06.00ए. कुल रकवा 14.00ए. केवाला सं. 04 दिनांक 06.01.2011 से क्रय किया गया तथा नामांतरण मुकदमा सं. 699/10–11 से स्वीकृत है।

प्रतिवादी रमेश मुखी मौजा चक्रधरपुर वार्ड सं. 15 खाता सं. 111 प्लॉट सं. 238G रकवा 3.625ए. तथा प्लॉट सं. 238ए. रकवा 00.925 तथा प्लॉट सं. 237 रकवा 00.450 कुल रकवा 05.000 वर्गकड़ी भुमि केवाला सं. 424 दिनांक 27.07.2011 से क्रय किया है। प्रतिवादी के केवाला में संलग्न नक्शा से ज्ञात होता है कि उनका मकान केवाला में वर्णित भुमि पर नहीं होकर हरिश बोदरा के द्वारा क्रय की गई भुमि पर अवस्थित है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के सीमांकन वाद सं. 40/11–12 (निर्गत 22 दिनांक 19.07.2013) में अंचल अमीन द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भुमि के प्लॉट सं. 238A एवं B भाग पर रमेश मुखी, पिता वीरेन मुखी मकान बना लिया है। जिसका माप 39 1/2' X 301/2'=1204.75 वर्ग फीट या 2.765 ए. (दो डिसमिल सात सौ पैंसठ वर्ग कड़ी) मात्र पर मकान बना कर रहता है।

उपरोक्त विदुंओं के आधार पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71(A) के अंतर्गत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को दखल दिहानी का आदेश देते हुए आदेश की प्रति भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

16.9.2016

भुमि सुधार उप समाहर्ता
चक्रधरपुर

16.9.2016

भुमि सुधार उपसमाहर्ता
चक्रधरपुर

Digitally signed by localhost
Date: 2025.06.14 15:45:50 +05:30
Location: 10.93.69.133